RCSCE | राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद
स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार

unicef for every child

नशे की प्रवृति की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु विधि प्रावधान

(Prevention of Drug and Substance Abuse among Children and Illicit Trafficking)

18 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिकाओं में बढ़ती नशे की प्रवृति की रोकथाम एवं नियंत्रण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण आयोग, नई दिल्ली द्वारा केंद्रीय नारकोटिक ब्यूरो, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में जॉइंट एक्शन प्लान "एक युद्ध नशे के विरूद्ध"

- ‘शैक्षणिक संस्थान परिसर में मादक औषधि/मनःप्रभावी पदार्थ/शराब/तम्बाकू पदार्थ का उपयोग निषेध है’’
- विद्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में मनःप्रभावी पदार्थों से सबंधित व्यावसायिक गतिविधियां निषेध हैं।
- नशीले पदार्थों से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों में लिप्त होने पर 7 साल के कठोर कारावास की सजा व 1 लाख तक का जुर्माना।
- शैक्षणिक संस्थाओं में मादक पदार्थ निषेध के संबंध में ज़ीरो टॉलरेंस लागु।

नशा मुक्ति में संस्था प्रधान एवं शाला परिवार का उत्तरदायित्व

1. शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में शराब/तम्बाकू उत्पाद की दुकान संचालित होने की स्थिति में इसकी जानकारी जिला आबकारी अधिकारी एवं संबंधित पुलिस थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सूचित कराया जाये।
2. मनःप्रभावी पदार्थों के सेवन में लिप्त विद्यार्थी के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर उक्त संबंध में अभिभावक को सूचित किया जावे एवं विद्यार्थी की उचित काउंसलिंग की जावे।
3. मनःप्रभावी पदार्थों के सेवन के दुष्परिणाम के बारे में प्रार्थना सभा में एवं पीटीएम मीटिंग के दौरान चर्चा की जाये।

शराब एवं तम्बाकू मुक्ति हेतू हेल्प लाइन नंबर – 1 . राष्ट्रीय तम्बाकू मुक्ति सेवा टॉल फ्री नम्बर – 1800112356, 2 . नशीले पदार्थों के दुरूपयोग की रोकथाम हेतु –14446, 3 मेडिकल हेल्पलाइन नंबर–104, 108

Illustration & Visualisation : Yogiraj

RCSCE | राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद
स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार

unicef for every child

नशा बढ़ाता मनोविकार
इनके सेवन से, करो इन्कार

माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा डी. बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 6672/2016 सुओ मोटो बनाम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस एवं अन्य तथा डी. बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 3454/2018 सुओ मोटो स्टेट ऑफ़ राजस्थान एवं अन्य में भी बच्चों द्वारा किये जाने वाले नशे की प्रभावी रोकथाम एवं नशामुक्ति के संबंध में समुचित व्यवस्था हेतु राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दिए गए है ।

मादक पदार्थ- सेवन के कारण एवं दुष्प्रभाव

- कारण -

पारिवारिक एवं सामाजिक परिवेश, गलत संगति, अत्यधिक तनाव एवं दबाव, काल्पनिक रोमांच, गलत सिने एवं साहित्य

- दुष्प्रभाव -

मस्तिष्क संचार प्रणाली को अवरूद्ध करना, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हानि, अलगाव एवं एकाकीपन, मूल रचनात्मकता का ह्रास होना

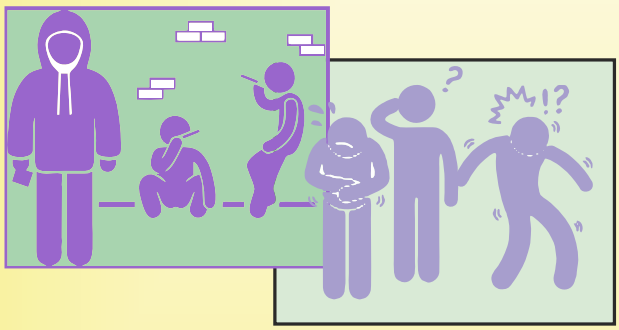

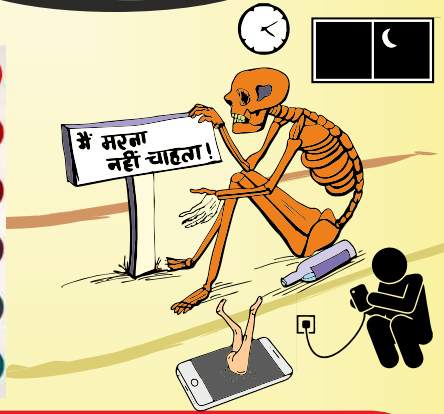

एनडीपीएस एक्ट (नारकोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्स्टेंस, 1985) की धारा 42 के तहत प्रतिबन्धित पदार्थो का रखना , बनाना, खरीदना और बेचना कानूनन अपराध है इस हेतु नारकोटिक विभाग से संबन्धित अधिकारी द्वारा बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार है।

शराब एवं तम्बाकू मुक्ति हेतू हेल्प लाइन नंबर – 1 . राष्ट्रीय तम्बाकू मुक्ति सेवा टॉल फ्री नम्बर – 1800112356, 2 . नशीले पदार्थो के दुरूपयोग की रोकथाम हेतु –14446, 3 मेडिकल हेल्पलाइन नंबर–104, 108

Illustration & Visualisation : Yogiraj